



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate-copy CRSLP9428591

9/15/2021



जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हल्का	हलका-04
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	10	पृष्ठ संख्या वर्तमान	38	थाना नं.	89
क्रमिक संख्या	केस नं.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना नं.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधुत जिसमें नामांतरण संबंधित है	कारोबार विस्तृत सूचना
28591	12456 /R27 2021 - 2022	भेलाटाड/ 89	गोविन्दपुर	13/09/2021	By Sale Registration Dated 21/04/2013	खाता नं. 166 भाग वर्तमान 1 पृष्ठ संख्या वर्तमान 322	खता नं. 166 प्लॉट नं. 1616 क्षेत्रफल 3.3 डिसमील
							रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
विक्रेता का नाम :	(SMT. VANDANA SINGHपति-SRI RUDRA PRATAP SINGH, जाति-राजपुत, पता-PURANA RAJBARI JHARIA)	जमाबंदी रैयत का नाम :	श्री लखन सक्सेना -पिता-स्व. सिकंदर प्रसाद				
			विक्रेता का नाम : SRI LAKHAN SAXENA , पिता-LATE SIDHESHWAR PRASAD , जाति-----, पत्ता-RAM NAGAR COLONY BEHIND DHANBAD JAIL				
राजस्व कर्मचारी हलका-04 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।							
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है							
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है							
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।							
Signature valid				Digitally signed by			
RAMJI VERMA				अंचलाधिकारी गोविन्दपुर			

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान।

Duplicate Copy  
15-Sep-2021

## आदेश

तिथि  
Sep 13 2021

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा भेलाटाड थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
166	1616	0 एकड़, 3.3 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI LAKHAN SAXENA	पिता	LATE SIDHESHWAR PRASAD

हैं जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2420 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री लखन सक्सेना	पिता	स्व. सिकंदर प्रसाद

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **6रुपये**  
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
RAMJI VERMA  
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर